रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 23] नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 7, 2005/पौष 17, 1926
No. 23] NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 7, 2005/PAUSA 17, 1926

पर्यावरण और वन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 जनवरी, 2005

का.आ. 33(अ).—राष्ट्रपति, न्यायाधीश, बी.एन. कृपाल, भारत के पूर्व न्यायाधीश की अध्यक्षता में गठित वन और वन्यजीव क्षेत्र की कार्य प्रणाली की समीक्षा करने के लिए भारत के राजपत्र की अधिसूचना संख्या 120 [का.आ. 142(अ)] दिनांक 7 फरवरी, 2003 के अन्तर्गत गठित राष्ट्रीय वन आयोग के कार्यकाल को आगे छ: माह की अवधि के लिए अर्थात् 6 अगस्त, 2005 तक, उन्हीं शर्तों पर बढ़ाते हैं।

[फा. सं. 8-13/2004-एफ पी]

जी. के. प्रसाद, अपर वन महानिदेशक

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th January, 2005

S.O. 33(E).—The President is pleased to extend the tenure of the National Forest Commission, constituted under Government of India Gazette Notification No. 120 [S.O. 142 (E)] dated 7th February, 2003 to review the working of the Forests and Wildlife Sector under the Chairmanship of Justice B. N. Kirpal, Ex-Chief Justice of India, for a further period of six months i.e. up to 6th August, 2005 on the same terms and conditions.

[F. No. 8-13/2004-FP]

G. K. PRASAD, Addl. Director General of Forests

संकल्प

नई दिल्ली, 6 जनवरी, 2005

का.आ. 34(अ).—वन और वन्यजीव क्षेत्र की कार्य प्रणाली की समीक्षा करने हेतु भारत सरकार ने राष्ट्रीय वन आयोग का गठन न्यायाधीश बी.एन. कृपाल, भारत के पूर्व न्यायाधीश की अध्यक्षता में 2 वर्षों की अवधि के लिए भारत सरकार की संकल्प संख्या का.आ. 124(अ) दिनांक 7 फरवरी, 2003 के द्वारा किया है। यह निर्णय किया गया है कि आयोग के लिए निर्धारित समय अवधि इसको दिए गए कार्य को पूरा करने हेतु आगे छ: माह की अवधि अर्थात् 6 अगस्त, 2005 तक बढ़ाया जाए।

[फा. सं. 8-13/2004-एफ पी]

जी. के. प्रसाद, अपर वन महानिदेशक

RESOLUTION

New Delhi, the 6th January, 2005

S.O. 34(E).—To review the working of the Forests and Wildlife Sector, the Government of India has constituted a National Forest Commission under the Chairmanship of Justice B. N. Kirpal, Ex-Chief Justice of India for a period of two years vide Government of India Resolution No. S. O. 143(E), dated 7th February, 2003. It has been decided to extend the time prescribed for the Commission to complete its assigned task by another six months i.e. up to 6th August, 2005.

[F. No. 8-13/2004-FP]

G. K. PRASAD, Addl. Director General of Forests

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.